दिनांक 20.05.2023
प्रेस विज्ञप्ति 21/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के समक्ष परिवीक्षाधीन आईपीएस अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के सम्बंध मे किया गया प्रस्तुतीकरण

डा0 आर0के0 विश्वकर्मा, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के समक्ष आज दिनांक 20.05.2023 को पुलिस मुख्यालय, स्थित सभागार में भारतीय पुलिस सेवा, 74वें आरआर (वर्ष 2020 एवं 2021बैच) के 15 प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारियों द्वारा अभी तक के प्राप्त प्रशिक्षण का प्रस्तुतीकरण किया गया।

उक्त 74वें आरआर बैच (वर्ष 2020–2021) के परिवीक्षाधीन अधिकारी, सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद से आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रदेश के विभिन्न जनपदो में जनपदीय प्रशिक्षण हेतु जाने से पूर्व पुलिस मुख्यालय में आगमन कर अभी तक प्राप्त प्रशिक्षण एवं भविष्य की चुनौतियो के संबंध में अपना प्रस्तुतीकरण किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा परिवीक्षाधीन आई0पी0एस0 अधिकारियों को मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देते हुए सम्बोधित किया गया किः–

- किसी भी प्रकरण/समस्या के समाधान हेतु तथ्यात्मक जानकारी के साथ–साथ उसका विश्लेषण भी आवश्यक है (Be Analytical)।
- भविष्य की चुनौतियों के दृष्टिगत आने वाले वर्षों की कार्य योजना तैयार कर खुद को तकनीकी रूप से और सक्षम बनाने की आवश्यकता है।
- पुलिस की कार्यप्रणाली में आधुनिकतम तकनीकी का सदुपयोग किया जाना आवश्यक है।
- सतत विकास की दिशा में कार्य करने के लिए हमेशा सीखते रहने की आवश्यकता है।
- पुलिस सेवा में सत्यनिष्ठा, नैतिकता, ईमानदारी एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति रखना ही सफलता का मूल मन्त्र है।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक फ़ायर सर्विस, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, विशेष पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार, विशेष पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, विशेष पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था/अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक कार्मिक, अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जनपद कुशीनगर/थाना कप्तानगंज

- **पुलिस कार्यवाही में 45 हजार रूपये व 20 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 पिकप वाहन (बिना नम्बर) आदि बरामद**

दिनांक 19/20.05.2023 की रात्रि थाना कप्तानगंज थाना खड्डा थाना कोतवाली पडरौना थाना जटहांबाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हसनगंज भियूरा धुस के पास चेकिंग के दौरान पिकप सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–विक्की 2–सदरे आलम घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 06 गोवंश, 01 पिकप वाहन (बिना नम्बर) आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार सदरे आलम के विरूद्ध जनपद कुशीनगर व गोरखपुर के विभिन्न थानो में चोरी, सीएस एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गोरखपुर व कुशीनगर से वांछित चल रहे थे, जिसमें अभियुक्त सदरे आलम की गिरफ्तार हेतु जनपद कुशीनगर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार एवं जनपद गोरखपुर से 20 हजार रूपये तथा अभियुक्त विक्की की गिरफ्तारी हेतु जनपद गोरखपुर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सदरे आलम निवासी खिरिया टोला थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर।

2–विक्की निवासी गोपालगढ़ थाना कसया जनपद कुशीनगर, हालपता मंगहरिया आमकोल थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 06 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

2–01 पिकप वाहन (बिना नम्बर) आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना फूलपुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार**
- **घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 20.05.2023 को थाना फूलपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दबेथुआ के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–विकेश कुमार 2–मुन्ना कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार, घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.05.2023 को थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा कार लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कार उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकेश कुमार निवासी ग्राम नवादा थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।

2–मुन्ना कुमार निवासी ग्राम बरकटिया थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।

बरामदगी

1–लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार।

2–घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन।

जनपद फिरोजाबाद/थाना उत्तर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 80 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 02 लैपटॉप, 01 घड़ी**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 20.05.2023 को थाना उत्तर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला पान सहाय पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–राजू खाँ उर्फ रियाजुद्दीन 2–राजा 3–शिवम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 80 हजार रूपये नगद, चोरी के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 02 लैपटॉप, 01 एचएमटी घड़ी, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राजू खाँ उर्फ रियाजुद्दीन के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के दो दर्जन अभियोग एंव अभियुक्त राजा के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण, लैपटॉप आदि चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना उत्तर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजू खाँ उर्फ रियाजुद्दीन निवासी मक्का कॉलोनी थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

2–राजा निवासी ग्राम चनौरा ऊसरा थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

3–शिवम निवासी ग्राम चनौरा ऊसरा थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के 80 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के भारी मात्रा में सोने—चाँदी के आभूषण।

3—चोरी के 02 लैपटॉप, 01 एचएमटी घड़ी।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद जालौन/थाना कालपी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 35 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **चोरी का 01 लैपटॉप**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 20.05.2023 को थाना कालपी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कानपुर—झाँसी हाईवे यमुना पुल के पास से अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना के अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 35 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, चोरी का 01 लैपटॉप, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कालपी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटनाए कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कालपी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, लैपटॉप, आभूषण चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कालपी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोनू निवासी तकरऊ थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1—चोरी के 35 हजार 500 रूपये नगद।

2—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

3—चोरी का 01 लैपटॉप।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना चरथावल

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 19/20.05.2023 की रात्रि थाना चरथावल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पानीपत—खटीमा मार्ग बाईपास के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अफजाल उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अमरोहा, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना चरथावल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अफजाल उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान निवासी मिमलाना रोड थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हमीरपुर/थाना राठ

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19/20.05.2023 की रात्रि थाना राठ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों 1–शुभम 2–मुमताज 3–पवन 4–अखिलेश 5–सुरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सुरेन्द्र शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना राठ पर हत्या का प्रयास, चोरी आदि के 13 अभियोग एंव अभियुक्त अखिलेश के विरूद्ध कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कस्बा राठ व आसपास के जनपदो से मोटर साइकिल चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना राठ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शुभम निवासी ग्राम बुढावली थाना सकरार जनपद झांसी।

2–मुमताज निवासी नई बस्ती मु0 छोटी जुलेहटी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर।

3–पवन निवासी सिकन्दरपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर।

4–अखिलेश निवासी सिकन्दरपुरा कस्बा व थाना राठ हमीरपुर।

5–सुरेन्द्र निवासी ग्राम बंगरा थाना चिकासी जनपद हमीरपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 08 मोटर साइकिल।

- **<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 29 करोड़ 50 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने 02 अभियुक्तों 1–शेखर 2–ब्रजेश द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 29 करोड़ 50 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- **<u>जनपद हरदोई (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 18 करोड़ 41 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस ने अभियुक्त अनीस अंसारी पुत्र ननकू निवासी ग्राम क्यौना गाँटिया शादीपुर थाना भमौरा जनपद बरेली द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 18 करोड़ 41 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- **<u>जनपद अमेठी/थाना मुशीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 25–25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या–12 जनपद अमेठी द्वारा थाना मुशीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–हीरालाल 2–हरीराम को 25–25 वर्ष के कठोर कारावास व 60–60 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना बाबूगढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 02 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जनपद हापुड़ द्वारा थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमित को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 02 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना घुंघटेर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या–04 जनपद बाराबंकी द्वारा थाना घुंघटेर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शिवशंकर को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———